चिकित्सा अनुभाग–2
संख्याः–4723/ सेक–2–पांच–17–5(209)/13 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

डा0 अशोक कुमार उपाध्याय (वरिष्ठता कमांक–8238), तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, परिवार कल्याण, महराजगंज द्वारा उक्त पद पर तैनाती की अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत फण्ड का दुरूपयोग करके, फर्जी टेण्डर/कोटेशन के आधार पर आयरन फॉलिक एसिड तथा मेबेण्डाजोल टैबलेट ऊँची दर पर कय करते हुए शासकीय क्षति पहुँचाने आदि के आरोप के लिए डा0 अशोक कुमार उपाध्याय के विरूद्ध शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–3992/सेक–2–पांच–15–5(209)/2013, टी0सी0 दिनांक 01.12.2015 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए निलम्बित किया गया। निलम्बन के दौरान डा0 उपाध्याय को कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध किया गया।

2– डा0 उपाध्याय के विरूद्ध जांच की कार्यवाही प्रचलित है और जांच अधिकारी से जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है। अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 उपाध्याय को निलम्बन से बहाल करते हुए वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला चिकित्सालय, श्रावस्ती के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

3– डा0 उपाध्याय के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी।

वी हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्याः–4723 (1)/सेक–2–पांच–17, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य,उ0प्र0,लखनऊ।
3– निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4– अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर/देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
5– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, श्राावस्ती।
6– कोषाधिकारी वाराणसी/श्रावस्ती।
7– संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ।
8– गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

संख्याः–4724/सेक–2–पांच–17–5(209)/13 टी0सी0

लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

डा0 आलोक कुमार सिंह (वरिष्ठता कमांक–9524), तत्कालीन उप मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया द्वारा उक्त पद पर तैनाती की अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत फण्ड का दुरूपयोग करके, फर्जी टेण्डर/कोटेशन के आधार पर आयरन फॉलिक एसिड तथा मेबेण्डाजोल टैबलेट ऊँची दर पर क्रय करते हुए शासकीय क्षति पहुँचाने आदि के आरोप के लिए डा0 आलोक कुमार के विरूद्ध शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–3991/सेक–2–पांच–15–5(209)/2013, टी0सी0 दिनांक 01.12.2015 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए निलम्बित किया गया। निलम्बन के दौरान डा0 सिंह को कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी से सम्बद्ध किया गया।

2– डा0 सिंह के विरूद्ध जांच की कार्यवाही प्रचलित है और जांच अधिकारी से जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है। अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 सिंह को निलम्बन से बहाल करते हुए वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला चिकित्सालय, श्रावस्ती के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

3– डा0 सिंह के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी।

वी हेकाली झिमोमी

सचिव।

संख्याः–4724 (1)/सेक–2–पांच–17, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2– महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य,उ0प्र0,लखनऊ।

3– निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4– अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी/देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

5– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, श्राावस्ती।

6– कोषाधिकारी वाराणसी/श्रावस्ती।

7– संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

8– गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)

अनु सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2
संख्याः– 4724 सेक–2–पांच–17–5(209)/13 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

डा0 योगेन्द्र कुमार सिलोइया (वरिष्ठता कमांक–6085), तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, परिवार कल्याण, देवरिया द्वारा उक्त पद पर तैनाती की अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत फण्ड का दुरूपयोग करके, फर्जी टेण्डर/कोटेशन के आधार पर आयरन फॉलिक एसिड तथा मेबेण्डाजोल टैबलेट ऊँची दर पर क्रय करते हुए शासकीय क्षति पहुँचाने आदि के आरोप के लिए डा0 योगेन्द्र कुमार सिलोइया के विरूद्ध शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–3989/सेक–2–पांच–15–5(209)/2013, टी0सी0 दिनांक 01.12.2015 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए निलम्बित किया गया। निलम्बन के दौरान डा0 सिलोइया को कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ से सम्बद्ध किया गया।

2– डा0 सिलोइया के विरूद्ध जांच अधिकारी से प्राप्त जांच आख्या सन्तोषजनक न होने पर जांच अधिकारी को पुनः जांच किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। डा0 सिलोइया द्वारा न्यायिक अभिरक्षा से वापस होने के उपरान्त बहाली के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त उन्हें निलम्बन से बहाल करते हुए वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला चिकित्सालय, कुशीनगर के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

3– डा0 सिलोइया के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी।

वी हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्याः–4725 (1)/सेक–2–पांच–17, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य,उ0प्र0,लखनऊ।
3– निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4– अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ/गोरखपुर मण्डल।
5– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, कुशीनगर।
6– कोषाधिकारी कुशीनगर/लखनऊ।
7– संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8– गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।